न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 91/2020

विक्रम पुत्र गुमानाराम, जाति माली, निवासी भड़ौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार झुंझुनं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10.2018 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम विक्रम मु0न0 158/2016 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 25.10.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारो सहित पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया है, बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही में अमल लाई गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पुर्व पीड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट ने अपने मकानो में बिजली, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 70–80 वर्षो से पक्के मकान बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दु पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर विश्वास करके निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह काफी वर्षो से रह रहा है अपीलान्ट का यान उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 25.10.2018 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली का उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया है, बिना सुने एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:28 IST
Reason: SelfAttested

वाही में अमल लाई गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से
ोड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट ने अपने मकानो में
ी, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 70–80 वर्षो से पक्के मकान बनाकर
परिवार सहित आबाद है जिसमे बिजली–पानी के कनेक्शन है। अदालत मातहत ने
ी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर विश्वास करके
पारित किया है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह काफी वर्षो से रह रहा है अपीलान्ट
स उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की
निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 25.10.2018 को निरस्त किया जाने
देश फरमाया जावे।

द्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट बहस के दौरान उपस्थित नही। अतः प्रकरण मे
य बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन
अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम भडौन्दा खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 1221
कबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी में से 0.05 हैक्टर भूमि अतिक्रमी मानकर
के आदेश दिये है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क है कि अदालत मातहत द्वारा
ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है तथा विवादित भूमि पर
ट का लगभग 70 से 80 वर्ष पुराना कब्जा है। अदालत मातहत की पत्रावली के
त से साफ है कि अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.08.2016 को अदालत मातहत
उपस्थित आये है तथा तत्पश्चात अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा बार – बार
ु अवसर दिये जाने के बावजूद जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 25.10.2018 को
के आदेश पारित किये है। इससे साफ है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को
रखने हेतु काफी समय दिया था परन्तु अपीलान्ट ने स्वयं ने अपना पक्ष अदालत
समक्ष नहीं रखा है। अपीलान्ट का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। साथ ही अपीलान्ट
हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका कब्जा
वैध माना जा सकें। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी है, जो प्रतिबन्धित
भूमि है। जिसपर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गया कब्जा विधि विरूद्ध है।
न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अदालत मातहत ने
को गैर मुमकीन नदी की भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये है, जिसमें हम
का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति
लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:33:28 IST
Reason: SelfAttested

(उमर दीन खान) 31/03/21
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं